संख्या– /XXXVI(2)/24/06(बजट)/2020

प्रेषक,

प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक सितम्बर, 2024

विषय–उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में ओपन थियेटर/एम्फीथियेटर, लॉन टेनिस कोर्ट इत्यादि का निर्माण कार्य एवं एक Class Room को E-Class Room/Conference hall में परिवर्तित किये जाने हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–983/बजट/2024–25 दिनांक 23.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–145026/2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 के द्वारा उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल में वर्चुअल ट्रेनिंग एवं अन्य कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु E-Class Room/Conference hall, ओपन थियेटर/एम्फीथियेटर, 3 स्टेप सिटिंग, लॉन टेनिस कोर्ट के निर्माण कार्यो हेतु प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 69,81,600/– के क्रम में स्वीकृत किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 46,54,400/– के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या–4 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–051–निर्माण–08–उत्तराखण्ड ज्यूडिसियल अकादमी के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा का विकास के अन्तर्गत मानक मद–53–वृहद निर्माण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि **रू0 20,00,000/– (रू0 बीस लाख मात्र)** की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

I. उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
II. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लिया जाय व उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
III. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
IV. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक

होगा। तदोपरान्त ही आंगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

v. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

vi. जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

vii. निर्माण कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006), दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

viii. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुसार कार्य किया जाय।

ix. निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाये कि निर्माण हेतु उपयुक्त माह/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

x. स्वीकृत आगणन के सापेक्ष क्षेत्रफल में वृद्वि/मानचित्र में परिवर्तन एवं स्वीकृत लागत से अधिक पर अनुबन्ध अथवा व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति आवश्यक है।

xi. निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।

xii. आगणन में दरें डी0एस0आर0 2018 की ली गयी है, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से प्राप्त कर उन मदों की दरों को डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 आदि में प्राविधानित कर विश्लेषण के अनुसार ही दर विश्लेषित कर प्राविधान किया जाय। बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं शासनादेश संख्या 103/XXVIII(7)/32/2007 टी0सी0–1 दिनांक 21 जुलाई, 2022 के अनुरूप कार्यवाही की जाय।

xiii. प्रश्नगत कार्य के संबंध में विभागीय व्यय समिति की बैठक में प्रदत्त निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xiv. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न हीं पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

xv. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जाय, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

xvi. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, व सुसंगत नियमों एवं अन्य मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेश व तद्विषयक अन्य आदेशो/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो इस हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

xvii. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा न्यूनतम निविदा के सापेक्ष बचत/क्रय की जाने वाली सामग्री के लिए स्वीकृत दरों के सापेक्ष हुई बचत की सूचना भी शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त बचत की धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा।

xviii. कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर व नेटवर्किंग उपकरणों के क्रय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–285/पी.एस./2006, दिनांक 23.10.2006 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ही कार्यवाही की जाय।

xix. वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त

विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 तथा प्रथम अनुपूरक आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–238662/2024, दिनांक 10 सितम्बर, 2024 एवं तत्क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–4 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–051–निर्माण–08–उत्तराखण्ड ज्यूडिसियल अकादमी के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा का विकास के अन्तर्गत मानक मद–53–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त धनराशि की स्वीकृति संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अधीन निर्गत की जा रही है।
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Pradeep Pant
Date: 30-09-2024 12:45:48

(प्रदीप पन्त)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–1/5, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by
Sudhir Kumar Singh
Date: 30-09-2024 15:22:02

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।